an>

Title: Need to allow sale of biscuits, drinking water bottles and other eatables in STD/PCO booths at railway stations.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदया, रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर विकलांगों को एस.टी.डी., पी.सी.ओ. बूथ एलाट किये गये थे। देश के अन्य स्टेशनों के अतिरिक्त इनमें मुम्बई सब-अर्बन रेलवे स्टेशनों पर सर्वाधिक बूथ दिये गये थे। मोबाइल सेवा का अत्यधिक प्रचार-प्रसार होने के कारण इन बूथों पर इक्का-दुक्का लोग ही इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे इन बूथों पर कार्य करने वाले विकलांगों की आमदनी एकदम कम हो गई है। इन बूथों पर इनको और कोई भी अन्य स्टॉल लगाने की आज्ञा नहीं है। इन विकलांगों को कोई और आमदनी नहीं है, ये अन्यत्र कहीं कार्य कर नहीं सकते, जिससे इनको अपने परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। यदि इन बूथों पर इनको कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स और अन्य तुरंत जरूरत की वस्तुएं बेचने का आदेश पारित किया जाए, तो इनकी आमदनी बढ़ेगी और इन विकलांगों को कुछ राहत मिलेगी।

इस विषय पर मैंने 25 फरवरी, 2015 को नियम 377 के अधीन सभा में विकलांगों की इस कठिनाई का मामला उठाया था और माननीय रेलवे मंत्री को इस आशय का एक पत्र 7 मई को लिखा था, परन्तु इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री से एक बार फिर अनुरोध है कि देश भर के रेलवे स्टेशनों पर, विशेषकर मुम्बई सबअर्बन रेलवे स्टेशनों पर जहां इन बूथों की संख्या सबसे अधिक है, इन विकलांगों को एलॉट बूथों पर स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य वस्तुओं की बिक्री की इजाजत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दें, जिससे इनकी वित्तीय दशा में सुधार हो सके और इनके परिवार का जीवनयापन सुगम हो सके।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।